

SAY YES TO JUSTICE: SAY NO TO HANGING OF SURENDER KOLI

On 27th January 2015, the Allahbad High Court will decide whether Surender Koli will live or die as it will hear a petition asking for commutation of his death penalty on grounds of delay. Koli, the dalit manservant of Moninder Pandher, was charged of heinous crimes in the Nithari serial murders and disappearances.

Though the police investigations and courts have concluded about his guilt, but even today there are a number of unresolved questions in this case.

Should Koli be hanged while his co-accused, Moninder Singh Pandher, walks free? The Nithari case made headlines in 2006 when fifteen skeletons were unearthed from a house in Noida, Uttar Pradesh, following the investigation in the disappearance cases in which a number of children and a woman went missing. House owner Moninder Singh Pandher and his domestic servant Surender Koli were arrested in the case and both were accused of serial murders and sexual abuse. However, in one of the sixteen cases, Koli was sentenced to death whilst Pandher was acquitted by Allahabad High Court (Though the trial court had convicted both of them). If we are all equal before the law, then why should only a poor, Dalit man, a servant of a powerful and rich man, be hanged for a crime for which his master may be guilty?

Why was Koli not given proper legal aid? Throughout the case, Koli has had very poor legal aid. Lawyers who initially took up his case were threatened and had to drop out after Koli was assaulted in the Ghaziabad court. Subsequently, he had to rely on the

amicus curiae. The right to legal aid (especially in cases involving death penalty) is a fundamental right which has been clearly violated in the present instance. Koli hails from a very poor family which has disowned him and he has been left with an old mother who has no resources to aid him. Like Koli, the majority of death row convicts are either Dalits, OBCs or belong to very poor families who do not have the resources to employ expensive lawyers and advocates. Since legal aid is dependent upon availability of resources, the rich have a greater ability to fight which the poor lack. If Pandher has the right to bail and can hope for acquittal, then why was the same right not given to Koli?

Should Koli be hanged on the basis of a confession extracted under torture? Koli's confession emerged only after 60 days of his police custody. During those 2 months, no further evidence was discovered against him. In this confession itself, Koli has stated that he was tutored by police about names of victims, manner of killings etc. In a letter to the Supreme Court he mentioned how the magistrate who recorded his confession did not take note of his missing fingernails and toenails which were clear indications of custodial torture. On the many occasions that independent teams met Koli, he confessed to *not* having committed the crime. Under these circumstances, is such confession under duress a sufficient basis for hanging Koli?

What happened in Nithari? How much do we know? In 2007, the Ministry of

Women Child Development (WCD) set up a committee to investigate the Nithari killings and their report raised doubts about Koli's involvement based on information by Dr. Vinod Kumar, MD, the Chief Medical Superintendent, Noida. Kumar had supervised the post-mortem examinations conducted on the bodies identified after assembling the bones and skulls found at the site. He observed missing parts in *all* the bodies and opined that the absent torsos could be part of an organ trade as the bodies had been cut with surgical precision. This report was suppressed in court and not given to Koli, though the government had it in its possession. The police too carefully eliminated all possibility of Dr Kumar's views from coming to the notice of Koli or the trial court lawyer. Such a report seriously casts doubts on the prevailing understanding that Koli is guilty of cannibalism or sexual perversion which the prosecution had argued.

Why hang the witness? There are eleven cases pending against Koli before the Trial Court and four cases against him in the High Court. Only one case has been concluded by the Supreme Court - Rimpia Halder's disappearance case in which the Trial Court convicted and sentenced to death both the accused but High Court acquitted Pandher and confirmed the death sentence on Koli.

If Koli is hanged the direct benefit will go to Pandher for the eight cases in which Koli is the only witness. It is prudent to remember that the Nithari complaints were registered months after parents of missing children first raised the issue with their nearest police station. Arrests were made much later only after an adult woman went missing. There are news reports suggesting that *disappearance in that area has continued* post the Nithari arrests. Koli can shed vital light on the matter and if he is hanged, the only witness will also be gone. If the aim of a punishment is to prevent more such crimes, how will hanging Koli without a complete investigation about others involved serve any purpose?

Does death penalty result in justice? As is clear the Nithari crimes deserve a much fuller investigation for establishing the truth. Hanging Koli is not the solution. Do we want to be part of a society that kills the poor and unprotected accused in the name of justice. By hanging Koli, the crimes of Nithari cannot be washed away as it is wishful thinking to believe that the death of one person will end crimes. Hanging Koli will only confirm our belief in a cruel and harsh criminal justice system that institutes the most horrific and barbaric form of killing in the name of justice.

**STOP SURENDER KOLI'S HANGING
DEMAND JUSTICE FOR NITHARI VICTIMS
SAY NO TO DEATH PENALTY**

People's Union for Democratic Rights, Delhi

Contact: pudrdelhi@gmail.com , 9868471143

न्याय को हाँ, फांसी को ना – सुरिन्दर कोली की फांसी को रोको

27 जनवरी 2015 को इलाहाबाद हाई कोर्ट सुरिन्दर कोली की जिन्दगी और मौत का फैसला करेगा, PUDR द्वारा दायर याचिका में कोली की दया याचिका में निर्णय पर देरी के आधार पर उसकी फांसी को चुनौती दी गई है। सुरिन्दर कोली (एक दलित नौकर), निठारी हत्याकांड के दोषियों में से एक है, जिसका दूसरा आरोपी उसका मालिक मोनिंदर सिंह पंधेर है।

हालांकि पुलिस जांच और न्यायालयों द्वारा कोली को अपराधी घोषित कर दिया गया है, लेकिन आज भी इस मामले में कई सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिल पाए हैं।

क्या सुरिन्दर कोली को फांसी देना ठीक है, जबकि उसका सह-आरोपी मोनिंदर सिंह पंधेर बरी हो चुका है?

निठारी हत्या काण्ड, सन् 2006 में उस समय सुर्खियों में आया था जब नोएडा की एक कोठी से 15 नर-कंकाल बरामद हुए थे। यह कंकाल अपरहण की उन वारदातों की खोज बीन के दौरान प्राप्त किए थे जिनमें कई बच्चे व महिलाएं गायब थीं। मकान मालिक मोनिंदर सिंह पंधेर और नौकर सुरिन्दर कोली को आरोपी बनाया गया था। उनके खिलाफ सीरियल मर्डर, यौन अपराधों के 16 मामले बनाए गए थे। उन 16 मामलों में से एक, रिम्पा हलदर के मामले में सुरिन्दर कोली को फांसी दे दी गई, जबकि मोनिंदर सिंह पंधेर को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने छोड़ दिया (हालांकि, निचली अदालत ने दोनों को दोषी ठहराया था)। अगर सब कानून के सामने बराबर हैं, तो केवल एक दलित नौकर को फांसी क्यों दी जा रही है, जबकि उसका मालिक छूट गया है? कोली को उचित कानूनी सहायता क्यों नहीं दी गई?

पूरी सुनवाई के दौरान सुरिन्दर कोली को उचित कानूनी सहायता नहीं दी गई। जिन वकीलों ने कोली का केस लड़ने की कोशिश की उन पर गाजियाबाद कोर्ट में हमले किए गए और उन्हें कोली का मुकदमा

छोड़ना पड़ा। अंततः, उसे अमिकस क्युरी की सहायता लेनी पड़ी। स्पष्ट रूप से, कानूनी सहायता के मूलभूत अधिकार का उल्लंघन कोली के इस मामले में हुआ है। कोली एक बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखता है और उसके परिवार ने अब उसका परित्याग कर दिया है। अब उसके परिवार में बस एक उसकी माँ है जिनके पास कोली के बचाव के लिए एक वकील करने के पैसे तक नहीं हैं। कोली की ही तरह, अधिकतर मृत्युदंड पाए हुए लोग दलित, पिछड़ी जातियों से सम्बन्ध रखते हैं, जिनके पास अपना मुकदमा लड़ने के लिए पैसे नहीं होते, वे लोग महंगे वकीलों की फीस नहीं दे सकते। अमीर लोगों के पास अच्छे वकील करने के लिए पैसे होते हैं, इसलिए वे अपना मुकदमा अच्छे से लड़ सकते हैं। अगर पंधेर के पास बेल और बड़ी होने का हक है, तो कोली को इस अधिकार से क्यों वंचित किया गया?

क्या यातना देकर हासिल किये हुए इकबालिया बयान के आधार पर कोली को फांसी देना उचित होगा ?

सुरिन्दर कोली का इकबालिया बयान पुलिस कस्टडी में 60 दिन बिताने के बाद लिया गया था। उन दो महीनों में उसके खिलाफ कोई अन्य सबूत नहीं हासिल किया जा सका। अपने इकबाल-ए-जुर्म में कोली ने अपने साथ हुए थर्ड डिग्री के प्रयोग और यातनाओं का जिक्र किया था, और यह भी की उसे पुलिस द्वारा मृतकों का नाम, उन्हें मारने के तरीकों को याद कराया गया था। सुप्रीम कोर्ट को लिखी अपनी चिट्ठी में उसने इन बातों का जिक्र किया था और बताया था की बयान दर्ज करने वाले मजिस्ट्रेट ने उसके गायब नाखूनों, और शरीर पर लगी चोटों पर कोई ध्यान नहीं दिया था। कई मौकों पर जब अलग-अलग लोगों ने उससे बात की तो उसने अपने निर्दोष होने की बात दोहराई है। ऐसे में प्रताड़ित करके हासिल किये गए बयान के आधार पर फांसी देना कहाँ तक उचित है ? क्या हुआ था निठारी में और हमें

कितना पता है ?

सन 2007 में महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय ने निठारी में हुए हत्याकांड की जांच के लिए एक समिति का गठन किया था। उस समिति की रिपोर्ट से इस हत्याकांड में कोली के निर्दोष होने का संकेत मिलता है। प्राप्त किये गए कंकालों का पोस्टमॉर्टम व शिनाख्त, तत्कालीन चीफ मेडिकल सुपरवाइजर, डॉ. विनोद कुमार, एम.डी. की देख रेख में हुआ था। जांच की गई सभी लाशों में कोई न कोई अंग गायब था। हर लाश में से शरीर का बीच का हिस्सा गायब था। उनका कहना था की ऑर्गन ट्रेड की संभावना हो सकती है। ऐसा इसीलिए भी संभव है, क्योंकि शरीर के अंगों को बेहद बारीकी से अलग किया गया था, जो की किसी डॉक्टर के समान दक्षता रखने वाले व्यक्ति का काम प्रतीत होता है। यह रिपोर्ट अभियोजन पक्ष ने कोर्ट के सामने पेश नहीं की, और न ही कोली को इसकी कॉपी दी गई। पुलिस ने भी चालाकी से डॉ. कुमार की रिपोर्ट को सामने नहीं आने दिया। ऐसी रिपोर्ट से कोली पर लगाये गए हत्या, यौन अपराधों के आरोपों के विषय में संदेह पैदा होता है।

गवाह को फांसी क्यों दी जाए?

कोली के खिलाफ 11 अन्य मामले चल रहे हैं। उनमें से चार हाई कोर्ट में लंबित हैं। सिर्फ एक ही केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसकी फांसी निश्चित की

गयी है— रिम्पा हल्दर मर्डर केस। उसी केस में निचली अदालत ने कोली और पंधेर को फांसी दी थी, और अलाहाबाद हाई कोर्ट ने मोनिंदर सिंह पंधेर को बाद में बरी कर दिया है। यदि कोली को फांसी दी जाती है तो इसका सीधा फायदा पंधेर को मिलेगा जिसके अपराधों का एकमात्र गवाह सुरिन्दर कोली है। साथ ही, यह भी ध्यान देने योग्य बात है की निठारी में गायब हो रहे बच्चों की रिपोर्ट, बच्चों के गायब होने के महीनों बाद दर्ज हुई थी। न्यूज रिपोर्ट्स के अनुसार निठारी में अभी भी बच्चों के गायब होने की घटनाएं हो रही हैं। कोली इन सभी मुद्दों पर से पर्दा उठा सकता है, पर यदि उसे भी फांसी हो गई तो एकमात्र गवाह भी नहीं बचेगा। अगर फांसी का मतलब और घटनाओं को रोकना है तो कोली की फांसी से इन घटनाओं पर रोक कैसे लग सकती है, जबकि असली अपराधी शायद बाहर ही हो।

क्या फांसी देना न्यायपूर्वक होगा?

जैसा की निठारी केस में पता चलता है की सच का पता लगाने के लिए इसमें अभी और जांच-पड़ताल की आवश्यकता है। कोली को फांसी देना इस समस्या का समाधान नहीं है। यह सोचना सही नहीं होगा की कोली को फांसी देने से निठारी जैसे हत्याकाण्ड रुक जायेंगे। साथ ही क्या हम ऐसे समाज की संरचना करना चाहते हैं जिसमें न्याय के नाम पर आरोपी की बलि चढ़ा देने का रिवाज हो ?

कोली को फांसी से बचाओ

निठारी के पीड़ितों को न्याय दो

मृत्युदंड को समाप्त करो

पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स, दिल्ली

सम्पर्क : pudrdelhi@gmail.com, 9868471143